न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 69/2020 बउनवानी प्रेमचन्द जैन बनाम लोक.सू.अधि.एवं प्रभारी अधि0राजस्व/सामान्य/आरटीआई
(से.नि.शा.शिक्षक) पुत्र स्व0 श्री माली लाल जैन, नि0 24 पंचमुखी नगर,आलनपुर रोड़ सवाईमाधोपुर कार्यालय हाजा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.11.2020	दिनांक 17.11.2020 को अवकाश घोषित होने के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य/आरटीआई की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.8.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भिजवाया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अति0 जिला कलेक्ट के पत्रांक एफ. 1(91)सूकाअ/2020/1436–1437 दिनांक 04.09.2020 से प्रभारी अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य/आरटीआई को को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रमाणित प्रति द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर की सेवामे प्रस्तुत की गयी शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.8.2019 द्वारा रजिस्टर्ड पत्र विरूद्व तहसीलदार, उप पंजीयक, आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर एवं उनका रिश्वत के बलपर पूर्ण संरक्षण प्राप्त भूमाफियागणो द्वारा मिली भगत से साजिश के साथ उपजिला कलेक्टर(भूमि रूपान्तरण) सवाईमाधोपुर के यहॉ पटटा विलेख संख्या 24 दिनांक 3.5.1999 एवं पटटा विलेख से संबंधित उप नगर नियोजक कोटा के द्वारा प्रमाणित नक्शे के विरूद्व राज्य सरकार की करोडो की भूमि सुविधा के पार्क,सडको की भूमि व सिवायचक भूमि पर नियमों के विरूद्व आवासीय,व्यवसायिक भूखण्डो के विक्रय पत्र पंजीयन कराने भूमि खुर्दबुर्द किये जाने बाबत।
2. प्रमाणित प्रति प्रार्थी की प्रा.पत्र दिनांक 23.8.2019 के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महो. एवं संबंधित विभागीय अधिकारी महो. द्वारा की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात की
3. प्रमाणित प्रति कार्यालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा मुझ प्राथ्री के प्रा0पत्र दिनांक 23.8.2019 के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर को जारी किये गये आदेश क्रमांक सम/46 दिनांक 14.01.2020 एवं वर्णित पत्रांक अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी प्रार्थना पत्र 23.8.2019 की प्रमाणित प्रति।
4. प्रमाणित प्रति माननीय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश क्रमांक सम/46 दिनांक 14.1.2020 की पालना में प्रार्थी की प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
5. प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर की सेवा में प्रस्तुत की गयी शिकायत प्रा0पत्र दिनांक 13.8.2020 रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 13.8.2020 विरूद्व लोक सेवक कार्यालय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी सवाईमाधोपुर की प्रमाणित प्रति मय प्रार्थना पत्र के संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य/आरटीआई द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य/आरटीआई को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्र[illegible] के यूओनोट क्रमांक 10712 दिनांक 16.10.20 से अवगत कराया कि प्रार्थना [illegible]त सूचना सामान्य अनुभाग से संबंधित नही होने के कारण प्रार्थी [illegible] पत्रांक 8985–86 दिनांक 9.9.2020 से प्रभारी अधिकारी राजस्व [illegible] प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nannu Mal Panadia
Date: 2020.12.24 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2020/5650 दिनांक 13.11.2020 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 लगाय 4 पर चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक राजस्व/सूकाअ/4985 दिनांक 16.10.2020 से (कुल 14 पृष्ठों की) निःशुल्क अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी आरटीआई अनुभाग के पत्रांक 3104 दिनांक 26.10.2020 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 5 पर चाही गयी सूचना कुल 3 पृष्ठो की प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 495 दिनांक 5.10.2020 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना राजस्व अनुभाग एवं आरटीआई अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा जरिये डाक आपत्ति प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नही करवायी गयी है।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.8.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की चाही गयी सूचना प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 546 दिनांक 22.10.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा आरटीआई अनुभाग से संबंधित सूचना प्रतिलिपि अनुभाग के पत्रांक 495 दिनांक 5.10.2020 से अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति में बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध नही होना बताया गया है किन्तु उक्त सूचना राजस्व अनुभाग द्वारा भिजवायी गयी सूचना मे समाहित है। चूंकि चाही गयी सूचना संबंधित प्रभारी अधिकारियो द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nannu Mal Pahadia
Date: 2020.12.24 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested